रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 1980/श्रावण 2, 1902
No. 344] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 1980/SRAVANA 2, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1980

आय-कर

का०आ० 562(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवा संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 1 के भाग 1 में अवक्षयण के लिए अनुज्ञेय दरों की सारणी में, स्तम्भ 1 में, शीर्ष "III मशीनरी और संयंत्र (पोत से भिन्न)" में उपशीर्ष "(ii) विशेष दरें" के नीचे,—

(क) समूह घ में, मद (9) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(9) मोटर बसें और मोटर लारियां, उनसे भिन्न जिनका उपयोग भाड़े पर चलाए जाने के कारबार में किया जाता है (एन०ई०एस०ए०)";

(ख) समूह ङ में, मद (1) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) मोटर बसें, मोटर लारियां और मोटर टैक्सियां जिनका उपयोग भाड़े पर चलाए जाने के कारबार में किया जाता है (एन०ई०एस०ए०)"।

[सं० 3601/फा०सं० 133(84)/80-टी०पी०एल)]

एस०एस० शेण्डे, सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

MINISTRY OF FINANCE

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1980

INCOME-TAX

S.O. 562(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In Part I of Appendix I to the Income-tax Rules, 1962, in the Table of rates at which depreciation is admissible, in column 1, under the heading "III. Machinery and Plant (not being a ship)—", under the sub-heading "(ii) Special rates :",—

(a) in Group D, for item (9), the following item shall be substituted, namely :—

"(9) Motor buses and motor lorries other than those used in a business of running them on hire [N.E.S.A.]";

(b) in Group E, after item (1), the following item shall be inserted, namely :—

"(1A) Motor buses, motor lorries and motor taxis used in a business running them on hire [N.E.S.A.]".

[No. 3601/F. No. 133(84)/80-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.

Central Board of Direct Taxes

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980